

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम०क० सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक: निगरानी 172-दो/09 विरुद्ध आदेश दिनांक 22-10-08 पारित  
द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 893/अपील/07-08.

विजय कुमार मिश्रा तनय स्व. श्री रामप्रताप मिश्रा  
निवासी ग्राम हिनौती सर्किल सज्जनपुर  
तहसील राम बघेलान  
हाल मुकाम कृष्णनगर मुरली भवन के पीछे  
सतना म.प्र.

— — — — आवेदक

विरुद्ध

- 1-- प्रिज्ञ सीमेन्ट कंपनी लिमिटेड  
स्थित ग्राम मनकहरी सर्किल सज्जनपुर  
तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म.प्र.
- 2-- रामलाल मिश्रा तनय स्व. श्री वंशरचनप्र मिश्रा  
निवासी ग्राम हिनौती सर्किल सज्जनपुर  
तहसील रामपुर बघेलान  
हाल मुकाम कृष्णनगर मुरली भवन के पीछे  
सतना म.प्र.

— — — — अनावेदकगण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदक,  
श्री एस. के श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

आदेश :

( आज दिनांक को पारित )

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 393/अपील/07-03 में पारित आदेश नं.०५२८ 22-10-08 के विरुद्ध म.प्र. मु-राजस्व संहिता १९५९ (जिसे आग सहित कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पश की गद्द है :

2-- प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क. 2 ने अनावेदक क. 1 को विवादित भूमि का कुल रकमा 67.90 में से 4.21 हिस्सा पंजीकृत विक्रयपत्र के तहत

विकल्प किया गया और इस विकल्पपत्र के आधार पर अनावेदक क्र. 1 ने तहसीलदार वृत्त सज्जनपुर के न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जहां पर दिनांक 27-1-07 को नामांतरण आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक एस.डी.आ. के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 29-2-08 द्वारा निरस्त की एस.डी.आ. के आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जा अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3- आवेदक को ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अभिलेख के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सिविल न्यायालय के आदेशों को अनदेखा किया गया है इस कारण उनके आदेश नेरस्ती योग्य हैं।

4- अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण विकल्पपत्र के आधार पर नामांतरण का है और विचारण न्यायालय द्वारा पंजीकृत विकल्पपत्र के आधार पर किए गए नामांतरण आदेश की पुष्टि दोनों अपालीय न्यायालयों ने की है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि राजस्व न्यायालय पंजीकृत विकल्पपत्र के आधार नामांतरण करेंगे और विकल्पपत्रों की वैधता या अन्यथा जाच राजस्व न्यायालय नहीं कर सकता और इसके लिए उन्होंने 2004 अ. एन. 125 का जंदभे दिया है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवतों निष्ठा है जिनमें हस्ताक्षेप का कोई आधार नहीं है।

पारेणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारेत आदेश स्थिर रखा जाता है।

( एम. के. सिंह )

सदस्य,

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,  
ग्वालियर